



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

स्वारस्य अभिव्यक्ती

सांची दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ वितरकपदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत

सांची, मध्य प्रदेश राज्यातील सर्वात विश्वासार्ह ब्रँड, पांढुर्णा, सावनेर, बडा चिचोली (महाराष्ट्र) आणि नागपूर शहरात सांची दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ वितरक कामासाठी अर्ज आमंत्रित करते. सहभागी (इच्छुक आणि सक्षम) अर्जदार एमपीसीडीएफ भोपाळच्या वेबसाइटवरून www.sanchidairy.com या कामाच्या अटी व शर्ती आणि ठिकाणांबद्दल तपशीलवार माहिती मिळवू शकतात. वितरक नियुक्ती प्रक्रियेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

क्र.	वर्णन	कार्यवाही तपशील
1.	ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्याची तारीख आणि वेळ	दिनांक 11.02.2023 ला www.sanchidairy.com पासून वेळ 12:00 बाजेपासून
2.	अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आणि वेळ	दिनांक 03.03.2023 वेळ 01:00 बाजे जिथपर्यंत, मिनी डेअरी प्लांट बैतुलच्या
3.	अर्ज उघडण्याची तारीख आणि वेळ	मिनी डेअरी प्लांट बैतुलच्या मिटिंग हॉलमध्ये तारीख 03.03.2023 व वेळ 02:00 बाजेपासून
4.	ईएमडी रक्कम	ईएमडी रक्कम रू.10000/- (रक्कम फक्त दहा हजार)

वरील तपशीलांनुसार, प्रथम सहभागी अर्जदाराला वर दर्शविलेल्या वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज डाउनलोड करावा लागेल, त्यानंतर वितरकाच्या कामाशी संबंधित अर्जामध्ये नमूद केलेल्या सर्व आवश्यक पात्रता आणि अटी तपशीलवार वाचा आणि समजून घ्याव्या लागतील आणि त्यानुसार अर्ज भरा. फॉर्म आणि इच्छित कागदपत्रे संलग्न करा. कर अर्जाची खरेदी किंमत 500/- मिनी डेअरी प्लांट बैतुल नुसार विहित तारखेला आणि वेळेवर डीडी/बँकरचा चेक भौतिक ठेवीसह ईएमडी रकमेसह. प्रथम प्राप्त अर्जातील आवश्यक पात्रता तपासली जाईल आणि त्यानंतर वितरकाच्या नियुक्तीसाठी कार्यवाही केली जाईल. एका जागेसाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास, वितरकाची लॉटरी प्रक्रियेद्वारे नोकरीसाठी निवड केली जाईल.

वितरकाचा करार कालावधी तीन वर्षांसाठी प्रभावी असेल. उक्त कालावधी पूर्ण झाल्यावर, वितरकाचे काम समाधानकारक असल्यास, कराराच्या समान अटींवर सतत एक वर्षासाठी कराराचा कालावधी वाढविण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भोपाळ सहकारी दूध संघ यांच्याकडे असेल.

अर्जातील दुरुस्त्या/फेरफार, जर असतील तर, केवळ वर नमूद केलेल्या मुख्यालयाच्या वेबसाइटवर www.sanchidairy.com प्रकाशित केले जातील. इतर कोणत्याही माध्यमातून प्रकाशित केले जाणार नाही.

अधिक माहितीसाठी या क्रमांकांवर संपर्क साधा :-

1. 9479980200
2. 9406900298
3. 9406900119

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

साँची पैकड दूध एवं दुग्ध
पदार्थ वितरक कार्य हेतु
आवेदन आमंत्रित किये
जाते है।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com



कार्य का नाम— सांची दूध एवं दूध पदार्थ वितरक कार्य हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1.	आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 11.02.2023 को www.sanchidairy.com से समय 12:00 बजे से
2.	आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 03.03.2023 समय 01:00 बजे तक, मिनी डेयरी प्लांट, बैतूल
3.	आवेदन खोलने का स्थान,समय एवं तिथि	मिनी डेयरी प्लांट, बैतूल के सभा कक्ष में दिनांक 03.03.2023 एवं समय 02:00 बजे से
4.	आवेदनकर्ता आवश्यक अर्हता	प्रपत्र क्र. 01
5.	वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र	प्रपत्र क्र. 02
6.	वितरक कार्य की आवश्यक शर्तें	प्रपत्र क्र. 03

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य तथ्य:—

1. प्रपत्र क्र. 01 “आवेदनकर्ता की आवश्यक अर्हताएँ”, प्रपत्र क्र. 02 “वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र “ एवं प्रपत्र क्र. 03 “वितरक कार्य की शर्तें” की एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।
2. लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर प्रतिभागी आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं जिस स्थान हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 03.03.2023 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करें। वितरक कार्य हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधि कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल।

महोदय,

म.प्र. के सबसे विश्वव्यापी ब्रांड सांची द्वारा शहर/क्षेत्र में सांची दूध वितरक हेतु दिनांक.....को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तों एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरा आवेदन नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

क्र.	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा अन्य) ।	प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र/ पार्टनरशिप डीड/ पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
2.	आवेदनकर्ता का पेन कार्ड नम्बर ।	पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
3.	आवेदनकर्ता का जी.एस.टी नम्बर ।	जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	आवेदनकर्ता के बैंक का नाम व (Current) चालू खाता क्रमांक।	बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक संलग्न करें।
5.	आवेदनकर्ता को दो वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 का आयकर जमा (ITR) रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य है।	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 की आयकर विवरणी।
6.	आवेदनकर्ता के पास स्वयं का वैध FSSAI लायसेन्स। (सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक हेतु निर्धारित)	वैध FSSAI लायसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
7.	ई.एम.डी. राशि रु 10000/- (रूपये दस हजार) की डी.डी. लगाना अनिवार्य है।	राशि रु.10000/- (रूपये दस हजार मात्र) की डी.डी. जो कि पेयबल एट "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" के नाम से देय होगा संलग्न करें।
8.	1.आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। 2.आवेदनकर्ता का एमपीसीडीएफ एवं इसके अधीनस्थ दुग्ध संघों/अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में किसी भी कार्य हेतु रिकार्ड खराब नहीं है। 3.आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी भी थाने में आर्थिक	आवेदन प्रपत्र के परिशिष्ट क्र.01 पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मूल शपथ पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।

	अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है।(इस बाबत रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)	
9.	आवेदनकर्ता यदि वर्तमान में एमपीसीडीएफ/इसके अधीनस्थ दुग्ध संघ के साथ किसी भी कार्य हेतु अनुबंधित/कार्यरत हैं व आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो संबंधित दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।	मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट क्र.02 पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
10.	वितरक कार्य की प्रपत्र क्र.02 संलग्न करें।	तदाशय का आवेदन पत्र में प्रपत्र क्र.02 संलग्न करें।

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ तथा ईएमडी राशि की डीडी/बैंकर्स चेक तथा आवेदन पत्र के क्रय मूल्य की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाए जाने पर ऐसे आवेदनकर्ता अमान्य घोषित होंगे।
- (2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएँ अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता :- _____

टेलीफोन नं. _____

मोबाईल नं _____




भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAAB0221D1ZW



भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.02

दूध एवं दूध पदार्थ वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदनकर्ता का नाम
(फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप फर्म/एकल स्वामित्व) स्वयं का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई/वर्तमान पता
4. दूरभाष/मोबाईल नं.
5. ई-मेल एड्रेस
6. वितरक कार्य हेतु प्रस्तावित स्थान का नाम
(आवेदनकर्ता वितरक कार्य हेतु  उपर दिए गए खण्ड में स्थान का नाम लिखे)
7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)
8. (अ) पेन नम्बर
- (ब) आधार कार्ड नम्बर.....

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र. 03

दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य हेतु नियम एवं शर्तः-

1. आवेदनकर्ता को पात्रता की शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
2. अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. आवेदन के साथ आवेदनकर्ता/कम्पनी/फर्म के डायरेक्टर का स्वप्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
4. चयनित आवेदनकर्ता को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के साथ निर्धारित शर्तों का रू.1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य है। अनुबंध पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के परिशिष्ट क्र.01 में संलग्न है।
5. आवेदक के पास उक्त शहर/क्षेत्र में स्वयं का ऑफिस/आउटलेट होना आवश्यक है।
6. यदि कोई ऐसा आवेदन प्राप्त होगा जिसका एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन भोपाल/सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल/उज्जैन/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड में कोई रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में आवेदक पर एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघ या अन्य स्थानीय सहकारी दुग्ध संघों की नीतियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई हो तो ऐसे आवेदन को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
7. वर्तमान में जिन आवेदकों के एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो एवं आर.आर.सी की कार्यवाही प्रचलन में हो ऐसे आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसे आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा।
8. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ निर्धारित राशि रू.10000/- (दस हजार रुपये मात्र) की डी.डी. ई.एम.डी. के रूप में आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसा आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
9. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को राशि रू.2,00,000/- (शब्दों में रुपये दो लाख मात्र) सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करनी होगी, जिसमें 50 प्रतिशत राशि नगद एवं 50 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। समय समय पर दूध विक्रय अनुसार प्रतिभूति राशि में बढ़ोतरी की जावेगी। सफल आवेदनकर्ता (वितरक) की ईएमडी राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जाएगा।
10. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी जब्त करने का अधिकार भोपाल दुग्ध संघ को होगा साथ ही ऐसे आवेदन को निरस्त समझा जाएगा।
11. आवेदन स्वीकृति के उपरांत कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। तीन वर्ष की अवधि में कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परंतु अनुबंध की अवधि में बढ़ोतरी किसी भी पक्ष के लिए अधिकार नहीं होगा। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा वितरक का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः आवेदन आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
12. विद्युत/पानी/डीप फ्रीज एवं अन्य व्यवस्था वितरक द्वारा किया जावेगा।
13. वितरक (आवेदनकर्ता) को स्थानीय बाजार में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहन/वितरण/विक्रय हेतु स्वयं का दो इंच पफ इंसुलेशन अथवा दो इंच हैवी डेंसिटी थर्मोकोल इंसुलेटेड दुग्ध वितरण वाहन लगाना होगा।
14. वितरक द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित लागू समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप-तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का पालन करना वितरक की जिम्मेदारी रहेगी।
15. सामग्री का रख-रखाव/भण्डारण हेतु व्यवस्था वितरक को स्वयं के व्यय से करनी होगी। विद्युत एवं जल बिल का भुगतान वितरक द्वारा किया जाएगा।
16. आवेदनकर्ता को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधित वितरक की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में यह कार्य संचालित किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी, कार्य संबंधी समस्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण करेगा।

17. वितरक तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय नहीं करेगा। वितरक द्वारा तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा जो भी वितरक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, उसका वहन वितरक को करना होगा। वितरक द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि/सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता वितरक द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।
18. दुग्ध संघ द्वारा वितरक कार्य आवंटन की स्थिति में दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों के विक्रय के लक्ष्य माहवार एकजाई प्रत्येक वर्ष के लिए दिए जाएंगे। लक्ष्य पूर्ण नहीं होने पर कार्यादेश समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
19. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वितरक साँची दूध एवं समस्त उत्पादों का वितरण/विक्रय करेंगे। यदि दुग्ध संघ द्वारा वितरक को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध, साँची के समस्त उत्पादों आदि का वितरण/विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रु.5000/- का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन वितरक को करना होगा। उक्त कार्य की पुनरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
20. साँची दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ सीमित होती है अतः वितरक का यह दायित्व होगा कि वह दूध एवं दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी सिस्टम के माध्यम से देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए वितरण/विक्रय करे।
21. वितरक को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटेड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
22. वितरक द्वारा साँची ब्राण्ड की पैकिंग का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा। किसी भी स्थिति में दुरुपयोग पाया जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ-साथ ठेका निरस्ती की कार्यवाही भी की जावेगी।
23. (क) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। वितरक द्वारा इस कार्य का दुरुपयोग करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त कार्य हेतु अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। **(दुग्ध संघ की ओर से हटाए जाने की स्थिति में संघ में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त नहीं की जावेगी)**
24. (ख) वितरक अनुबंधित अवधि में एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु 30 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर उक्त कार्य हेतु अनुबंध समाप्त कर सकेगा किन्तु दुग्ध संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा। साथ ही इस दशा में वितरक की 25 प्रतिशत संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि दुग्ध संघ द्वारा जब्त की जाएगी। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तो इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। **(वितरक द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व स्वयं की इच्छा पर कार्य छोड़ने की स्थिति में संघ में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त की जावेगी)**
25. सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं पूर्ण ई.एम.डी. भी जब्त की जा सकेगी।
26. कार्य आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि दुग्ध संघ द्वारा कार्य निरस्त किया जाता है या वितरक द्वारा स्वयं की इच्छा से कार्य छोड़ा जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा राशि का रिफण्ड लेने के पूर्व वितरक को दुग्ध संघ से बकाया लेनदेन व क्रेट आदि के समायोजन पश्चात् नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर, लेनदारी व देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।
27. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक आवेदन की प्रक्रिया एवं आवेदन की समस्त शर्तें भी अनुबंध का भाग मानी जावेगी।
28. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
29. अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा, जिसकी सूचना वितरक को दी जावेगी एवं वितरक को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
30. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की शर्तों एवं अनुबंध की शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
31. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
32. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्र अधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

शपथ पत्र का प्रारूप
(केवल अवलोकन हेतु)
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर)
(आवश्यक अर्हताओं के साथ संलग्न करें।)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

01— भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा (शहर व राज्य का नाम) में वितरक के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा (शहर व राज्य) में वितरक के कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/संचालक/अधिकारी /कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं उनके आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूँ।

02 — मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरा एमपीसीडीएफ, भोपाल/इससे सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण रिकार्ड खराब नहीं है।

03 — मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है एवं किसी भी मा. न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

इति दिनांक शहर
नाम शपथग्राहिता
हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 एवं 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक शहर
हस्ताक्षर शपथग्राहिता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स..... वर्तमान में
..... सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, के साथ के रूप में कार्यरत है
तथा आज दिनांक तक की स्थिति में श्री/श्रीमती/मेसर्स की तरफ
सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, की कोई भी लेनदारी शेष नहीं है। श्री/श्रीमती/मेसर्स
..... को (शहर व राज्य) में वितरक के कार्य हेतु आवेदन में भाग लेने पर
सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित को कोई आपत्ति नहीं है।

जारी दिनांक—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ

अनुबंध-पत्र का प्रारूप

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमती/मेसर्स..... आत्मज/पति/प्रोपराइटर....., आयु-..... निवासी-..... (शहर व राज्य) में (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांकको निष्पादित किया गया है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष दूध व अन्य साँची के समस्त उत्पाद वितरण/विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर द्वितीय पक्ष को दूध व अन्य साँची के समस्त उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत करता है।
2. (क) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। वितरक द्वारा इस कार्य का दुरुपयोग करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त कार्य हेतु अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। (दुग्ध संघ की ओर से हटाए जाने की स्थिति में संघ में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त नहीं की जावेगी)
(ख) वितरक अनुबंधित अवधि में एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु 30 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर उक्त कार्य हेतु अनुबंध समाप्त कर सकेगा किन्तु दुग्ध संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा। साथ ही इस दशा में वितरक की 25 प्रतिशत संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि दुग्ध संघ द्वारा जब्त की जाएगी। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तो इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। (वितरक द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व स्वयं की इच्छा पर कार्य छोड़ने की स्थिति में संघ में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त की जावेगी)
3. कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। तीन वर्ष की अवधि में कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परंतु अनुबंध की अवधि में बढ़ोतरी किसी भी पक्ष के लिए अधिकार नहीं होगा। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।
4. कार्य आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि प्रथम पक्ष द्वारा कार्य निरस्त किया जाता है या द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं की इच्छा से कार्य छोड़ा जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा रु.200000/- (दो लाख रुपये मात्र) का रिफण्ड लेने के पूर्व वितरक को दुग्ध संघ से बकाया लेनदेन क्रेट आदि के समायोजन पश्चात् नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर, लेनदारी/देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।
5. द्वितीय पक्ष को मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों में साँची वितरक स्वरूप कार्य करने हेतु रु.200000 (दो लाख रुपये मात्र) सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करनी होगी, जिसमें 50 प्रतिशत राशि नगद एवं 50 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। द्वितीय पक्ष को केवल अग्रिम भुगतान पर ही दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद प्रदाय किए जाएंगे।
6. यह कि भविष्य में वितरण/विक्रय मात्राओं में बढ़ोतरी के दृष्टिगत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
7. यह कि प्रतिभूति/सुरक्षा निधि से कार्य संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
8. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों की शेल्फ-लाइफ सीमित होती है अतः वितरक का यह दायित्व होगा कि वह दूध एवं साँची के अन्य उत्पादों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी सिस्टम के माध्यम से देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए वितरण/विक्रय करें।
9. द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा आवंटित कार्य समय-समय पर सूचित समय सारणी अनुसार करना अनिवार्य होगा।

10. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध व साँची के समस्त उत्पाद की मूल्य तालिका से संबंधित को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
11. द्वितीय पक्ष को वितरक का कार्य हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने यह कार्य दूसरे को हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर दिया तो कार्य आवंटन निरस्त कर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस एफ.आई.आर./वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।
12. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप-तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का पालन करना द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
13. यह कि सामग्री रख-रखाव हेतु फ्रिज/डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी तथा उसका तापमान निर्धारित डिग्री रखकर साँची दूध व दुग्ध उत्पाद का शीतलीकरण व गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
14. वितरक को स्थानीय बाजार में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहन/वितरण/विक्रय हेतु स्वयं का दो इंच पफ इंसुलेशन अथवा दो इंच हैवी डेंसिटी थर्मोकोल इंसुलेटेड दुग्ध वितरण वाहन लगाना होगा।
15. वितरक के पास उक्त शहर/क्षेत्र में स्वयं का ऑफिस/आउटलेट होना चाहिये।
16. वितरक तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय नहीं करेगा। वितरक द्वारा तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा जो भी वितरक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, उसका वहन वितरक को करना होगा। वितरक द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि/सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता वितरक द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।
17. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वितरक साँची दूध एवं समस्त उत्पादों का वितरण/विक्रय करेंगे। यदि दुग्ध संघ द्वारा वितरक को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध साँची के समस्त उत्पादों आदि का वितरण/विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रु.5000/- का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन वितरक को करना होगा। उक्त कार्य की पुनरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
18. यह कि कार्य पर होने वाले व्यय जैसे किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।
19. प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये दुग्ध/दुग्ध पदार्थ/साँची के उत्पादों की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा सीधे संबंधित दुग्ध संघ के निर्धारित बैंक में अग्रिम जमा कराया जाना होगा। यदि किसी दिन बैंक का अवकाश हो तो, अग्रिम राशि जमा कराई जाएगी।
20. प्रदायकर्ता दुग्ध संघ को द्वितीय पक्ष प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध उत्पाद की समस्त धनराशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी के माध्यम से अग्रिम जमा करेगा, साथ ही संघ में रेखांकित एवं हस्ताक्षरित (दुग्ध संघ के हित में) चेक बुक देगा। आवश्यकता पड़ने पर धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति में निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।
 - A- धनादेश के अनादरित होने पर रु.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु.1000/- के मान से वसूली जावेगी। रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रु.2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।
 - B- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस की भीतर सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि रु.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु.2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु.4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
 - C- यदि इसके पश्चात् भी द्वितीय पक्ष द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रु.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रु.3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु.6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
21. द्वितीय पक्ष के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

22. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत वितरक बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधितों से कर रहा है। अतः संबंधितों से लेन-देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
23. वितरक को प्रथम पक्षकार (दुग्ध संघ) यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु निर्देशित करेगा तो वितरक को वह वितरण/विक्रय करना अनिवार्य होगा।
24. यह कि दुग्ध संघ द्वारा सामग्री की प्रदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही सामग्री प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण/ विक्रय करेंगे। प्राप्ति के उपरांत सामग्री की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
25. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम/खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष देगा एवं इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे। यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। वितरक खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराने, लाइसेंस प्राप्त करने व नियम के पालन हेतु बाध्य रहेगा।
26. यह कि वितरक के प्रथम पक्ष द्वारा जो ब्राण्डिंग मटेरियल, केन, क्रेट्स, बॉटल, प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट-फूट या नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करनी होगी।
27. यह कि दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किये गये दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेट्स, बॉटल का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ के खाली क्रेट्स का स्वयं उपयोग करने/बेचने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी।
28. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगा।
29. यह कि शासन/प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ के भंडारण/वितरण/विक्रय संबंधी जो भी नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय-समय पर बनाये जायेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, कार्य निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।
30. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद की दर एवं मार्जिन संबंधी जारी किए गए पत्र/परिपत्र/आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेंगे।
31. मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों में साँची वितरक को दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार निर्धारित मार्जिन/कमीशन दिया जावेगा। मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्यों हेतु सामग्री का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पृथक हो सकता है। अतः द्वितीय पक्ष द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्यप्रदेश के बाहर विक्रय हेतु प्रदाय सामग्री का विक्रय मध्यप्रदेश के अन्दर न हो। किसी विशेष क्षेत्र हेतु तैयार की गई सामग्री का पैकेट उसी क्षेत्र में विक्रय किया जाए अर्थात् मार्जिन/कमीशन/मूल्य एवं पैकिंग का दुरुपयोग न हो।
32. अनुबंधित वितरक को दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद दुग्ध संघ से निर्धारित प्रक्रिया एवं दरों पर प्राप्त करने होंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मांग की आपूर्ति किया जाना संभव न हो तो अन्य दुग्ध संघों से वितरक स्वयं के परिवहन व्यय पर दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे।
33. दुग्ध संघ द्वारा वितरक कार्य आवंटन की स्थिति में दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों के विक्रय के लक्ष्य माहवार एकजाई प्रत्येक वर्ष के लिए दिए जाएंगे। लक्ष्य पूर्ण नहीं होने पर कार्यादेश समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
34. वितरक को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटेड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
35. यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
36. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
37. वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप एवं इसकी समस्त शर्तें भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।
38. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

39. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्र अधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।
40. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय होगा।
41. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की शर्तों एवं अनुबंध की शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
42. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर समझ लिया है एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के अनुबंध हस्ताक्षरित कर निष्पादित किया गया है।

दिनांक :

गवाह : —

हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर —

नाम —

पता —

2. हस्ताक्षर —

नाम —

पता —

1. प्रथम पक्षकार

2. द्वितीय पक्षकार